

समाहरणालय मधेपुरा

(जिला स्थापना शाखा)

--:आदेश:-

प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय), बिहार, पटना के पत्रांक-02/आ0/उर्दू, दिनांक -22.04.2016 के आलोक में बजट शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-094 अन्य स्थापनाएँ-0011 द्वितीय राजभाषा(उर्दू) स्थापना मांग संख्या-04 विपत्र कोड N-2053000940011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 की प्रथम चौमाही के लिए व्यय हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्न प्रकार उपावंटित किया जाता है:-

क्र0	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	वेतन	जी0या0 भ0	आवास भत्ता	चि0 भ0	यात्रा भ0	कुल योग
01	02	03	04	05	06	07	08
01	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा	115550	155550	11550	880	0	283530
02	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	115550	155550	11550	880	0	283530
03	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	115550	155550	11550	880	0	283530
04	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आलमनगर	115550	155550	11550	880	1500	285030
05	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	115550	155550	11550	880	1500	285030
06	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	231150	311150	23150	1840	0	567290
07	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उदाकिशुनगंज	115550	155550	11550	880	0	283530
08	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मधेपुरा	115550	155550	11550	880	0	283530
कुल योग :-		1040000	1400000	104000	8000	3000	2555000

मो0-पच्चीस लाख पचपन हजार रुपये मात्र।

- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561वि0, दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक 423/वि0, दिनांक 31.03.16 एवं पत्रांक-2793वि0, दिनांक-04.04.2016 के आलोक में स्वीकृत है।
- यह राशि बजट शीर्ष- 2053 जिला प्रशासन-094 विपत्र कोड N-2053000940011 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में विकलनीय होगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक 400/वि0, दिनांक-16.05.2004 के आलोक में यदि वेतन मद की किसी उप इकाई में राशि का आवंटन आवश्यकता से कम हुआ हो तो उक्त मद की राशि की पूर्ति वेतन मद की किसी दूसरी उप इकाई में आवंटित राशि से की जा सकती है।
- आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की सारी जबाब देही संबद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- उपावंटित राशि का विचलन कर अन्य मदों में कंदापि व्यय नहीं किया जाय।
- इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

30/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक-446-2/स्था0, मधेपुरा, दिनांक-30.05.2016

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज/सिंहेश्वर/आलमनगर/चौसा/कुमारखण्ड/उदाकिशुनगंज/मधेपुरा एवं कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।